



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270649  
CG-DL-E-03032026-270649

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1078]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947

No. 1078]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

**का.आ. 1130(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में NH49 के कि.मी. 79.66 से कि.मी.192.7 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एस डी आर ओ ऍल्लू रामनाथपुरम-1 को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में NH49 के कि.मी. 79.66 से कि.मी.192.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: रामनाथपुरम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: परमाकुडी					
गांव का नाम: उरपुलि					
1	119/58A1	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	82 (वर्ग मीटर)	0.0082
2	119/7A1E	निजी	एग्रीकल्चर (मनावरी)	154 (वर्ग मीटर)	0.0154
3	531/13	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	232 (वर्ग मीटर)	0.0232
गांव का नाम: मंजूर					
4	226/1B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	1066 (वर्ग मीटर)	0.1066
गांव का नाम: कुमुक्कोट्टई					
5	200/7B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	142 (वर्ग मीटर)	0.0142
6	210	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (पोराम्बोके)	266 (वर्ग मीटर)	0.0266

तालुक का नाम: रामनाथपुरम					
गांव का नाम: बलंथरावै					
7	319	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (पोराम्बोके)	110 (वर्ग मीटर)	0.011
8	322/9	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (पोराम्बोके)	422 (वर्ग मीटर)	0.0422
गांव का नाम: कुसवानकुडी					
9	59/24A2	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	60 (वर्ग मीटर)	0.006
10	59/24A3	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	10 (वर्ग मीटर)	0.001
11	59/30A1	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	3637 (वर्ग मीटर)	0.3637
12	59/30C	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	39 (वर्ग मीटर)	0.0039
13	67/11D	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	33 (वर्ग मीटर)	0.0033
14	68/1A1B	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	11 (वर्ग मीटर)	0.0011
15	68/31A1A	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	1491 (वर्ग मीटर)	0.1491
16	68/3A1	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	15 (वर्ग मीटर)	0.0015
17	68/71	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	28 (वर्ग मीटर)	0.0028
गांव का नाम: लड़ाई					
18	151/1B	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	2415 (वर्ग मीटर)	0.2415
19	158/1B	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	3334 (वर्ग मीटर)	0.3334
20	158/2	निजी	एग्रीकल्चर (झाय)	10 (वर्ग मीटर)	0.001

21	238	सरकारी	नोंन एग्रीकल्चर (पोराम्बोके)	300 (वर्ग मीटर)	0.03
22	57/1	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	5 (वर्ग मीटर)	0.0005
23	57/2B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	12 (वर्ग मीटर)	0.0012
24	57/3B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	47 (वर्ग मीटर)	0.0047
25	57/4A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	49 (वर्ग मीटर)	0.0049
26	57/4B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	72 (वर्ग मीटर)	0.0072
27	57/4C	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	99 (वर्ग मीटर)	0.0099
28	57/5B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	336 (वर्ग मीटर)	0.0336
29	57/6A	निजी	एग्रीकल्चर(ड्राय)	380 (वर्ग मीटर)	0.038
गांव का नाम: अचुन्थानवायल					
30	87/36	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	92 (वर्ग मीटर)	0.0092
31	87/5B2A	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	248 (वर्ग मीटर)	0.0248
32	87/5B2B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	122 (वर्ग मीटर)	0.0122
33	96/6A1B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	183 (वर्ग मीटर)	0.0183
34	96/6A1C	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	680 (वर्ग मीटर)	0.068
35	96/6A2A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	89 (वर्ग मीटर)	0.0089
36	96/6A2B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	113 (वर्ग मीटर)	0.0113
37	96/8A1A	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	557 (वर्ग मीटर)	0.0557
38	96/8A1B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
39	96/8A1C	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
40	96/8A1D	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
41	96/8A2	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	156 (वर्ग मीटर)	0.0156

42	96/8B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	200 (वर्ग मीटर)	0.02
43	96/9	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	39 (वर्ग मीटर)	0.0039
गांव का नाम: सूरङ्कोट्टई					
44	122/3A1B	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	253 (वर्ग मीटर)	0.0253
45	176/4A1	निजी	एग्रीकल्चर (वेट)	81 (वर्ग मीटर)	0.0081
गांव का नाम: पालंकुलम					
46	302/14	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	180 (वर्ग मीटर)	0.018
47	303/1	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	50 (वर्ग मीटर)	0.005
48	330/2B3	निजी	एग्रीकल्चर (मनावरी)	100 (वर्ग मीटर)	0.01
गांव का नाम: पोदुनामकट्टन					
49	31/1B1	निजी	एग्रीकल्चर (मनावरी)	575 (वर्ग मीटर)	0.0575
50	31/1B2	निजी	एग्रीकल्चर (मनावरी)	130 (वर्ग मीटर)	0.013
51	36/12	निजी	एग्रीकल्चर (मनावरी)	103 (वर्ग मीटर)	0.0103
52	36/3B1A	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (पोराम्बोके)	200 (वर्ग मीटर)	0.02
गांव का नाम: कैहुकुरानी					
53	8/30A	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	131 (वर्ग मीटर)	0.0131
54	8/30B	निजी	एग्रीकल्चर (ड्राय)	79 (वर्ग मीटर)	0.0079
55	98/8	निजी	एग्रीकल्चर (मनावरी)	350 (वर्ग मीटर)	0.035
<b>Total</b>					<b>2.0174</b>

[फा. सं. NHAI-HQ/11014/2018-LA/Notif/PIU-Karaijadi/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2026

**S.O. 1130(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH49 in the stretch of land from Km. 79.66 to Km. 192.7 in the district of RAMANATHAPURAM in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDRO LA Ramanathapuram-1 in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH49 in the stretch of land from Km. 79.66 to Km. 192.7 in the district of RAMANATHAPURAM in the state of TAMIL NADU

State: TAMIL NADU			District: RAMANATHAPURAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Paramakudi</b>					
<b>Village: Urapuli</b>					
1	119/58A1	Private	Agriculture (Dry)	82 (Square Meter)	0.0082
2	119/7A1E	Private	Agriculture (Manavari)	154 (Square Meter)	0.0154
3	531/13	Private	Agriculture (Dry)	232 (Square Meter)	0.0232
<b>Village: Manjur</b>					
4	226/1B	Private	Agriculture (Dry)	1066 (Square Meter)	0.1066
<b>Village: Kummukkottai</b>					
5	200/7B	Private	Agriculture (Dry)	142 (Square Meter)	0.0142
6	210	Government	Non Agriculture (Poramboke)	266 (Square Meter)	0.0266
<b>Taluk: Ramanathapuram</b>					
<b>Village: Valantharavai</b>					
7	319	Government	Non Agriculture (poramboke)	110 (Square Meter)	0.011
8	322/9	Government	Non Agriculture (poramboke)	422 (Square Meter)	0.0422
<b>Village: Kusavankudi</b>					
9	59/24A2	Private	Agriculture (Dry)	60 (Square Meter)	0.006
10	59/24A3	Private	Agriculture (Dry)	10 (Square Meter)	0.001

11	59/30A1	Private	Agriculture (Dry)	3637 (Square Meter )	0.3637
12	59/30C	Private	Agriculture (Dry)	39 (Square Meter )	0.0039
13	67/11D	Private	Agriculture (Dry)	33 (Square Meter )	0.0033
14	68/1A1B	Private	Agriculture (Dry)	11 (Square Meter )	0.0011
15	68/31A1A	Private	Agriculture (Dry)	1491 (Square Meter )	0.1491
16	68/3A1	Private	Agriculture (Dry)	15 (Square Meter )	0.0015
17	68/71	Private	Agriculture (Dry)	28 (Square Meter )	0.0028
<b>Village: Landai</b>					
18	151/1B	Private	Agriculture (Dry)	2415 (Square Meter )	0.2415
19	158/1B	Private	Agriculture (Dry)	3334 (Square Meter )	0.3334
20	158/2	Private	Agriculture (Dry)	10 (Square Meter )	0.001
21	238	Government	Non Agriculture (poramboke)	300 (Square Meter )	0.03
22	57/1	Private	Agriculture (Dry)	5 (Square Meter )	0.0005
23	57/2B	Private	Agriculture (Dry)	12 (Square Meter )	0.0012
24	57/3B	Private	Agriculture (Dry)	47 (Square Meter )	0.0047
25	57/4A	Private	Agriculture (Wet)	49 (Square Meter )	0.0049
26	57/4B	Private	Agriculture (Dry)	72 (Square Meter )	0.0072
27	57/4C	Private	Agriculture (Dry)	99 (Square Meter )	0.0099
28	57/5B	Private	Agriculture (Dry)	336 (Square Meter )	0.0336
29	57/6A	Private	Agriculture(Dry)	380 (Square Meter )	0.038
<b>Village: Achunthanvayal</b>					
30	87/36	Private	Agriculture (Dry)	92 (Square Meter )	0.0092
31	87/5B2A	Private	Agriculture (Dry)	248 (Square Meter )	0.0248
32	87/5B2B	Private	Agriculture (Dry)	122 (Square Meter )	0.0122
33	96/6A1B	Private	Agriculture (Wet)	183 (Square Meter )	0.0183
34	96/6A1C	Private	Agriculture (Wet)	680 (Square Meter )	0.068
35	96/6A2A	Private	Agriculture (Wet)	89 (Square Meter )	0.0089
36	96/6A2B	Private	Agriculture (Wet)	113 (Square Meter )	0.0113

37	96/8A1A	Private	Agriculture (Wet)	557 (Square Meter)	0.0557
38	96/8A1B	Private	Agriculture (Wet)	202 (Square Meter)	0.0202
39	96/8A1C	Private	Agriculture (Wet)	202 (Square Meter)	0.0202
40	96/8A1D	Private	Agriculture (Wet)	202 (Square Meter)	0.0202
41	96/8A2	Private	Agriculture (Wet)	156 (Square Meter)	0.0156
42	96/8B	Private	Agriculture (Wet)	200 (Square Meter)	0.02
43	96/9	Private	Agriculture (Wet)	39 (Square Meter)	0.0039
<b>Village: Soorankottai</b>					
44	122/3A1B	Private	Agriculture (Wet)	253 (Square Meter)	0.0253
45	176/4A1	Private	Agriculture (Wet)	81 (Square Meter)	0.0081
<b>Village: Palankulam</b>					
46	302/14	Private	Agriculture (Dry)	180 (Square Meter)	0.018
47	303/1	Private	Agriculture (Dry)	50 (Square Meter)	0.005
48	330/2B3	Private	Agriculture (Manavari)	100 (Square Meter)	0.01
<b>Village: Pottanamkattan</b>					
49	31/1B1	Private	Agriculture (Manavari)	575 (Square Meter)	0.0575
50	31/1B2	Private	Agriculture (Manavari)	130 (Square Meter)	0.013
51	36/12	Private	Agriculture (Manavari)	103 (Square Meter)	0.0103
52	36/3B1A	Government	Non Agriculture (Poramboke)	200 (Square Meter)	0.02
<b>Village: Kazhukurani</b>					
53	8/30A	Private	Agriculture (Dry)	131 (Square Meter)	0.0131
54	8/30B	Private	Agriculture (Dry)	79 (Square Meter)	0.0079
55	98/8	Private	Agriculture (Manavari)	350 (Square Meter)	0.035
<b>Total</b>					<b>2.0174</b>

[F. No. NHAI-HQ/11014/2018-LA/Notif/PIU-Karaikudi/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director